न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर ,रीवा कैम्प

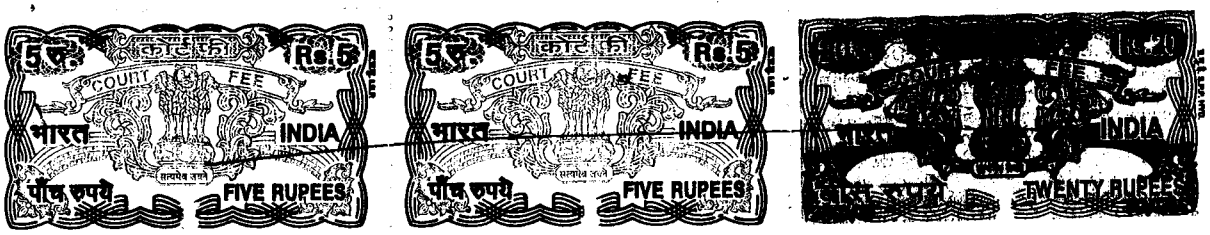

(128)

Rs. 30/-

अधि० श्री सुशील कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत
9.12.16

रामकुमार पिता लालमन मिश्रा निवासी ग्राम पुरवा थाना तह. गुढ़ जिला रीवा म.प्र.

R 5225-II/16

..................निगरानीकर्ता/रेस्पा.

बनाम्

1– बृजेश कुमार पिता लालमणि मिश्रा

2– मु. कुसुमकली बेवा लालमणि मिश्रा

3– सिद्धमुनि पिता लालमणि मिश्रा

4– नर्वदा प्रसाद पिता लालमणि मिश्रा

5– रामनरेश पिता लालमणि मिश्रा

6– दिनेश कुमार पिता लालमणि मिश्रा

7– सुरेश कुमार पिता लालमणि मिश्रा

8– मुनीन्द्र सिंह पिता श्री वंशपति सिंह

सभी निवासी ग्राम पुरवा थाना तह. गुढ़ जिला रीवा म.प्र.

...................गैरनिगरानीकर्तागण

अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के अपील प्रकरण क्र. 15/अ –27/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.11.2016 दिनांक जिसमें धारा 5 के आवेदन को सुनवाई किए बगैर स्वीकार कर लिया गया और लेख कर तर्क सुने गये आदेश पारित कर दिया गया को निरस्त किए जाने बाबत्।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 अंतर्गत म.प्र.भू. रा.सं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 5525–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह आवेदन अनुविभागीय अधिकारी गुढ के अपील प्रकरण कमांक 15/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को मयाद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर तर्क सुनने के पश्चात स्वीकार किया है। चूंकि उभय अभिभाषकों को म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर सुनने के पश्चात उसका निराकरण किया गया है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभी प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर किया जाना जहां पर आवेदक को अपना पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	